रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2012/अग्रहायण 26, 1934
No. 635]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2012/AGRAHAYANA 26, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 893(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) ये विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेगी।

(ii) ये विनियम, इसमें विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू माने जायेंगे ।@

2.अनुसूची को संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में,

(I) अनुसूची-1 में पैराग्राफ 9 में, उप-पैराग्राफ (ए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे 15 सितम्बर 2011 से प्रतिस्थापित किया गया है, ऐसा माना जाएगा:

4644 GI/2012

"(ए) संयुक्त खाते -

दो अथवा उससे अधिक अनिवासी व्यक्तियों के नामों में संयुक्त खाते खोले जा सकते हैं बशर्ते सभी खाता धारक भारतीय राष्ट्रीयता अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति हों । ये खाते अनिवासी द्वारा निवासी के साथ संयुक्त रूप से खोलने की भी अनुमति नहीं। अनिवासी को 'प्रथम या उत्तरजीवी' के आधार पर निवासी घनिष्ठ रिश्तेदार/संबंधी (रिश्तेदारों/संबंधियों) के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है । हालांकि, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार ऐसा निवासी घनिष्ठ रिश्तेदार अनिवासी खाताधारक के जीवन काल में मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र होगा ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित 'रिश्तेदार' है।"

(II) मूल विनियमावली की अनुसूची - 3 में, पैराग्राफ 3 में उप-पैराग्राफ (ए) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड अर्थात खंड (iii) और (iv) अंतर्विष्ट किया जाएगा और 16 सितम्बर 2011 से अंतर्विष्ट किया गया है, ऐसा माना जाएगा -

"(iii) समय समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.16/2000-आरबी (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से प्राप्ति और को भुगतान) के विनियम 4 के अनुपालन की शर्त पर रुपये में प्राप्त राशि, बशर्ते खाते का लाभार्थी विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में यथा परिभाषित अनिवासी भारतीय है ।

(iv) समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.4/2000-आरबी) के विनियम 8बी के अनुपालन की शर्त पर रुपये में प्राप्त राशि ।"

[सं. फेमा. 235/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा ।

2. मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 388(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

(ए) 9 अप्रैल, 2002 - सा.का.नि. सं. 262(अ)

(बी) 19 अगस्त, 20[illegible] सा.का.नि. सं. 577(अ)

(सी) 31 दिसम्बर [illegible] सा.का.नि. स. 855(अ)

(डी) 4 अगस्त, 2004 के सा.का.नि. सं. 491(अ)
(ई) 7 अप्रैल, 2005 के सा.का.नि. सं. 221(अ)
(एफ) 14 नवम्बर, 2005 के सा.का.नि. सं. 663(अ)
(जी) 19 जनवरी, 2006 के सा.का.नि. सं. 28(अ)
(एच) 23 जुलाई, 2007 के सा.का.नि. सं. 495(अ)
(आई) 16 अक्तूबर, 2007 के सा.का.नि. सं. 664(अ)
(जे) 14 नवम्बर, 2007 के सा.का.नि. सं. 714(अ)
(के) 15 फरवरी, 2008 के सा.का.नि. सं. 91(अ)
(एल) 23 जून, 2009 के सा.का.नि. सं. 442(अ)
(एम) 10 नवम्बर, 2012 के सा.का.नि. सं. 822(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2012

Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 893(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 5/2000-RB, dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and commencement

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into force with effect from the dates specified hereunder @.

2. Amendment to the Schedule

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 5/ 2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'),

(I) In Schedule-1, in Paragraph 9, the sub-paragraph (a) shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of September 2011 as follows:

"(a) Joint accounts –

Joint accounts in the names of two or more non-resident individuals may be opened provided all the account holders are persons of Indian nationality or origin. Opening of these accounts by a non-resident jointly with a resident is also permissible. Opening of these accounts by non-resident may be permitted jointly with the resident close relative(s) on 'former or survivor' basis. However, the said resident close relative shall be eligible to operate the account as a Power of Attorney holder in accordance with the extant instructions during the life time of the NRI account holder."

Explanation – For the purpose of this regulation, 'close relative' means relative as defined in section 6 of the Companies Act, 1956."

(II) In Schedule-3 of the Principal Regulations, in Paragraph 3, in sub-paragraph (A), after clause (ii), the following clauses, namely, clause (iii) and (iv) shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 16th day of September 2011:-

"(iii) Amount in rupees received subject to compliance with the Regulation 4 of the Notification No. FEMA 16/ 2000- RB dated May 3, 2000 (Receipt from and Payment to, a Person Resident Outside India), as amended from time to time, provided the beneficiary of the account is a NRI as defined in Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000.

(iv) Amount in rupees received subject to compliance with the Regulation 8B of the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 4/2000-RB dated 3rd May, 2000), as amended from time to time"

[No. FEMA. 235/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note : 1. @ Its is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 388(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :

(a) No. G.S.R. 262(E), dated April 9, 2002

(b) No. G.S.R. 577(E), dated August 19, 2002

(c) No. G.S.R. 855(E), dated December 31, 2002

(d) No. G.S.R. 494(E), dated August 4, 2004

(e) No. G.S.R. 221(E), dated April 7, 2005

(f) No. G.S.R. 663(E), dated November 14, 2005

(g) No. G.S.R. 28(E), dated January 19, 2006

(h) No. G.S.R. 495(E), dated July 23, 2007

(i) No. G.S.R. 664(E), dated October 16, 2007

(j) No. G.S.R. 714(E), dated November 14, 2007

(k) No. G.S.R. 91(E), dated February 15, 2008

(l) No. G.S.R. 442(E), dated June 23, 2009

(m) No. G.S.R. 822(E), dated November 10, 2012

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2012

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से प्राप्ति और को भुगतान

सा.का.नि. 894(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 16/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए (अब इसके बाद 'उक्त अधिसूचना' के रूप में उल्लिखित), भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिसूचना 16 सितम्बर, 2011@ से निम्नानुसार संशोधित होगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतर्विष्ट किये जाएंगे, अर्थात :-

"(4) रुपयों में उपहार

भारत में निवासी व्यक्ति अपनें घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार जो अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, को रेखित (क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा रुपये में उपहार दे सकता है :

बशर्ते -

(i) ऐसी राशि उक्त अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाएगी और ऐसे उपहार की राशि को एनआरओ खाते में जमा करने के लिए पात्र माना जाएगा ।

(ii) उपहार राशि निवासी व्यक्ति को उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष के लिए अनुमत समग्र उच्चतम सीमा के तहत होगी ।

(iii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निवासी दान-दाता की होगी कि विप्रेषित उपहार उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत हो तथा एक वितिय वर्ष के दौरान उपहार राशि इस योजना के अंतर्गत हो एवं विप्रेषित/जमा राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के अधिक न हो ।

(5) अनिवासी को रुपयों में ऋण

निवासी व्यक्ति अपने अनिवासी रिश्तेदार को रेखित (क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा रुपये में ऋण दे सकता है बशर्ते वह समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 4/2000-आरबी) के विनियम 8बी के अनुपालन के तहत हो ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

1. घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित रिश्तेदार है;
2. एनआरआई, पीआईओ, एनआरओ खाते का वहीं अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में परिभाषित है; और
3. उदारीकृत विप्रेषण योजना का अर्थ, समय-समय पर संशोधित, 4 फरवरी 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.64 के जरिये अधिसूचित योजना है ।"

[सं. फेमा. 237/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 403(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

(ए) 10 नवम्बर, 2000 के सा.का.नि. सं. 860(अ),

(बी) 28 जून, 2001 के सा.का.नि. सं. 484(अ) ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2012

Receipt from, and payment to, a person resident outside India

G.S.R. 894(E).—In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No.

FEMA 16/2000-RB, dated May 3, 2000 (hereinafter referred to as 'the said Notification'), the Reserve Bank hereby directs that the said Notification shall with effect from September 16, 2011@ be amended as under, namely :—

After Regulation (3) of the said Notification, the following Regulations shall be inserted, namely:-

"(4) Gift in Rupees

An individual resident in India may make a gift to a Non Resident Indian (NRI)/ Person of Indian Origin (PIO), who is a close relative of the resident individual, in rupees by way of crossed cheque /electronic transfer :

Provided that –

(i) The amount should be credited to the Non-Resident (Ordinary) Rupee Account (NRO) a/c of the NRI / PIO and credit of such gift amount may be treated as an eligible credit to NRO a/c.

(ii) The gift amount would be within the overall limit per financial year under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) for a resident individual.

(iii) It would be the responsibility of the resident donor to ensure that the gift amount being credited is under the LRS and all the remittances / credits under the LRS during the financial year including the gift amount have not exceeded the limit prescribed there under.

(5) Loan in Rupees to non resident

A resident individual may grant loan in rupees to a NRI relative by way of crossed cheque /electronic transfer subject to compliance with the Regulation 8B of the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 4/2000-RB dated 3rd May, 2000, as amended from time to time.

Explanation:

For the purpose of this regulation,

1. Close relative means relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956;
2. NRI, PIO, NRO account shall have meaning as defined in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000; and

3. **Liberalised** Remittance Scheme means scheme as notified vide A.P. (DIR Series) **Circular** No. 64 dated February 4, 2004 as amended from time to time."

[No. FEMA. 237/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note :1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 403(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :

(a) No. G.S.R. 860(E), dated November 10, 2000,

(b) No. G.S.R. 483(E), dated June 28, 2001.

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 895(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध **(रूपयों में उधार लेना अथवा उधार देना)** (संशोधन) विनियमावली, **2012** कहलायेगी।

(ii) ये **विनियम, 16 सितम्बर 2011** से लागू होंगे ।@

2.विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध **(रूपयों में उधार लेना अथवा उधार देना)** विनियमावली, 2000 **(3 मई 2000** की अधिसूचना सं.फेमा.**4/2000-आरबी)** में,

(1) विनियम 2 में खंड (सी) के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात -

"(सीए) 'उदारीकरण विप्रेषण योजना' का अर्थ 4 फरवरी 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.64 के अनुसार तैयार की गयी और समय समय पर यथा संशोधित **योजना** है ।

(सीबी) 'रिश्तेदार' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित 'रिश्तेदार' है । "

(2) विनियम 7 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात -

"(7ए) उल्लिखित विनियम 7 के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी द्वारा किसी अनिवासी व्यक्ति को दिये गये ऋण की भारत में उधारकर्ता के किसी रिश्तेदार द्वारा, उस रिश्तेदार के बैंक खाते से उधारकर्ता के ऋण खाते में राशि जमा करते हुए चुकौती की जा सकती है।"

(3) विनियम 8ए के बाद, निम्नलिखित नया विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात -

"8बी. निवासी द्वारा अनिवासी भारतीय को रुपये में ऋण

निवासी व्यक्ति अपने अनिवासी भारतीय **रिश्तेदार** को रेखित (क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण के मार्फत **ऋण दे सकता है** :

बशर्ते :

(i) ऋण ब्याज मुक्त हो तथा ऋण की न्यूनतम परिपक्वता/अदायगी अवधि एक वर्ष हो;

(ii) किसी निवासी व्यक्ति के लिए यह ऋण राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विप्रेषण के लिए उपलब्ध समग्र सीमा में होनी चाहिए । यह उधार देने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऋण की राशि वितीय वर्ष के दौरान उदारीकृत विप्रेषण योजना की सीमा के अंदर हो;

(iii) यह ऋण राशि उधार लेने वाले व्यक्ति के भारत में निजी प्रयोजनों या स्वयं के कारोबार (बिजनेस) के लिए उपयोग की जाएगी;

(iv) यह ऋण राशि किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन प्रयोजन के लिए प्रयोग नही की जाएगी जिनमें भारत मे बाहर के **निवासी** व्यक्ति द्वारा निवेश पर रोक है, अर्थात :

(ए) चिट फंड के कारोबार, या

(बी) निधि कंपनी, या

(सी) कृषि या प्लांटेशन गतिविधियों या रियल इस्टेट गतिविधियों या फार्म हाउस के निर्माण हेतु, या

(डी) स्थानांतरणीय विकासात्मक अधिकारों (TDRs) की ट्रेडिंग के लिए ।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त मद सं.(सी) के प्रयोजन के लिए, रियल इस्टेट कारोबार में टाउनशिप का विकास, आवासीय/कॉमर्शियल परिसर, सड़क तथा पुलों का निर्माण शामिल नहीं होगा ।

(v) ऋण राशि अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाए । ऐसी ऋण राशि को एनआरओ खाते में जमा होने योग्य राशि माना जाए;

(vi) ऋण राशि भारत से बाहर विप्रेषित नहीं की जाएगी; और

(vii) ऋण उधारकर्ता द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत आवक विप्रेषणों से अथवा उधारकर्ता के एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर खाते को नामे करके अथवा ऐसे ऋण की मंजूरी जिन शेयरों या प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति की जमानत पर दी गयी हो, की बिक्री से हुई आमदनी से अदा किये जाएंगे।

[सं. फेमा. 238/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सं. सा.का.नि. 387(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

(ए) 12-2-2001 के सं. सा.का.नि. 90(अ)

(बी) 8-11-2002 के सं. सा.का.नि. 754(अ)

(सी) 8-6-2004 के सं. सा.का.नि. 351(अ)

(डी) 16-7-2004 के सं. सा.का.नि. 453(अ)

(ई) 14-11-2007 के सं. सा.का.नि. 711(अ)

(एफ) 20-2-2009 के सं. सा.का.नि. 107(अ)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2012

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 895(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 4/2000-RB, dated 3rd May , 2000), namely :—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the 16th day of September 2011 @.

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 4/2000-RB dated May 3, 2000),

(1) In Regulation 2, after clause (c), the following shall be inserted, namely –

"(ca) 'Liberalised Remittance Scheme' means the scheme formulated in terms of circular A.P. (DIR Series) Circular No. 64 dated February 4, 2004 and as amended from time to time.

(cb) 'relative' means a 'relative' as defined in section 6 of the Companies Act, 1956."

(2) after Regulation 7, the following new regulation shall be inserted, namely, -

"7A. A loan granted to a non-resident by an authorised dealer, in accordance with Regulation 7 above, may be repaid by any relative of the borrower in India by crediting the borrower's loan account through the bank account of such relative."

(3) after Regulation 8A, the following new regulation shall be inserted, namely–

"8B. **Rupee loans to non-resident Indian by Resident**

A resident individual may grant loan to a NRI relative by way of crossed cheque / electronic transfer:

Provided that:

(i) the loan is free of interest and the minimum maturity of the loan is one year;

(ii) the loan amount should be within the overall limit under the Liberalised Remittance Scheme per financial year available for a resident individual. It would be the responsibility of the lender to ensure that the amount of loan is within the limits prescribed under Liberalised Remittance Scheme during the financial year;

(iii) the loan shall be utilised for meeting the borrower's personal requirements or for his own business purposes in India;

(iv) the loan shall not be utilised, either singly or in association with other person, for any of the activities in which investment by persons resident outside India is prohibited, namely;

(a) the business of chit fund, or

(b) Nidhi Company, or

(c) agricultural or plantation activities or in real estate business, or construction of farm houses, or

(d) trading in Transferable Development Rights (TDRs).

Explanation: For the purpose of item (c) above, real estate business shall not include development of townships, construction of residential / commercial premises, roads or bridges.

(v) The loan amount should be credited to the NRO a/c of the NRI /PIO. Credit of such loan amount may be treated as an eligible credit to NRO a/c;

(vi) the loan amount shall not be remitted outside India; and

(vii) repayment of loan shall be made by way of inward remittances through normal banking channels or by debit to the Non-resident Ordinary (NRO) / Non-resident External (NRE) / Foreign Currency Non-resident (FCNR) account of the borrower or out of the sale proceeds of the shares or securities or immovable property against which such loan was granted."

[No. FEMA. 238/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note : 1. @ Its is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 387(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

(a) No. G.S.R. 90(E) dated 12-2-2001

(b) No. G.S.R. 754(E) dated 8-11-2002

(c) No. G.S.R. [illegible]1(E) dated 8-6-2004

(d) No. G.S.R. 453(E) dated 16-7-2004

(e) No. G.S.R. 711(E) dated 14-11-2007

(f) No. G.S.R. 107(E) dated 20-2-2009

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 896(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (2) और धारा 47 की उप-धारा (1) (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/आरबी-2000) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेगी।

(ii) ये विनियम 21 फरवरी 2012 से लागू होंगे ।@

2.विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/आरबी-2000) (अब इसके बाद "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 16 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"उप-विनियम (1) के खंड (i) में समाविष्ट किसी बात के होने के बावजूद, जहाँ निर्यात करार में यह प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से ऊपर माल के पोत लदान के लिए निर्यातक अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकता है"।

[सं. फेमा. 241/2012-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : i. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ii. मूल विनियमावली 8 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 409(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

(ए) 21 मार्च, 2001 के सं. सा.का.नि.199(अ)

(बी) 8 जुलाई, 2002 के सं. सा.का.नि. 473(अ)

(सी) 29 सितम्बर, 2003 के सं. सा.का.नि. 773(अ)

(डी) 22 नवम्बर, 2003 के सं. सा.का.नि. 900(अ)

(ई) 23 अप्रैल, 2004 के सं. सा.का.नि. 279(अ)

(एफ) 8 जून, 2004 के सं. सा.का.नि. 352(अ)

(जी) 5 अगस्त, 2008 के सं. सा.का.नि. 576(अ)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2012

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 896(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 and sub-section (1) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) (Notification No. FEMA. 23/RB-2000) dated 3rd May , 2000), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 , namely :—

1. Short Title and commencement

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2012.

(ii) They shall come into force with effect from February 21, 2012.@

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter called "the principal regulations"), in Regulation 16, for the sub-regulation (2), the following shall be substituted.

"Notwithstanding anything contained in clause (i) of sub-regulation (1), an exporter may receive advance payment where the export agreement itself duly provides for shipment of goods extending beyond the period of one year from the date of receipt of advance payment".

[No. FEMA. 241/2012-RB]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : (i) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 409(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :

(a) No. G.S.R. 199(E), dated March 21, 2001

(b) No. G.S.R. 473(E), dated July 8, 2002

(c) No. G.S.R. 773(E), dated September 29, 2003

(d) No. G.S.R. 900(E), dated November 22, 2003

(e) No. G.S.R. 279(E), dated April 23, 2004

(f) No. G.S.R. 352(E), dated June 8, 2004

(g) No. G.S.R. 576(E), dated August 5, 2008

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.